प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठः माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश दण्ड अपील क्रमांक 1461 वर्ष 1996

जादूराम

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मै. सहमत हूँ ।

सही

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्धः 10/05/2012

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठः माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1461 / 1996

अपीलार्थी जादूराम, आयु लगभग 50 वर्ष, पिता – विशाल सतनामी, निवासी ग्राम देवड़ा, थाना भानपुरी, जिला बस्तर, मध्यप्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रतिवादी मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), थाना भानपुरी, जिला बस्तर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दायर आपराधिक अपील)

उपस्थिति :

श्री विष्णु कोष्टा अधिवक्ता - अपीलकर्ता की ओर से

श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता - राज्य की ओर से

निर्णय (दिनांक : 10.05.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय **श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा प्रस्तुत किया गया :

1. यह अपील दिनांक 27 जून, 1996 को सत्र प्रकरण क्रमांक 66/90 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा ₹500/- के अर्थदण्ड

से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 2 माह के सक्षम कारावास का प्रावधान किया गया है।

2. संक्षेप में प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं –

स्वर्गीय रामनाथ ग्राम तारागांव के निवासी थे। उनके पास ग्राम देवड़ा में कृषि भूमि थी, जो अपीलकर्ता के घर से सटी हुई थी। उक्त भूमि को लेकर अपीलकर्ता एवं मृतक के बीच विवाद चल रहा था और इस संबंध में एक मामला न्यायालय में लंबित था। मृतक रामनाथ ने उक्त भूमि में फसल की बुआई की थी। वह अपने दो नौकरों – सुद्धू (अ. सा.9) एवं लखमु – के साथ खेत पर आया-जाया करते थे। वे उन व्यक्तियों के पहुंचने के बाद ही रात में खेत से रवाना होते थे। दिनांक 27.10.1988 को जब मृतक के नौकर खेत पर पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ रामनाथ को नहीं पाया। खोजबीन करने के बाद उन्होंने मृतक के पुत्र रामसुख (अ. सा..-1) को इस संबंध में सूचना दी। रामसुख ग्राम देवड़ा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात लक्षेश्वर (अ. सा.2, कोटवार) एवं झेडिया (अ. सा.-3, सरपंच) से हुई। दोनों ने उन्हें बताया कि अपीलकर्ता ने अपने घर में उनके पिता (मृतक) की हत्या कारित कर दी है तथा इस संबंध में उसने उनके समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति की है। रामसुख (अ. सा..-1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श 1) दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे, पंचों को सूचना दी और मृतक के शव पर पंचनामा (प्रदर्श 2) तैयार किया। मृतक का शव अपीलकर्ता के घर के तीसरे कमरे में पाया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम डॉ. प्रदीप पांडे (अ. सा.5) द्वारा किया गया, जिन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं –

(i) गर्दन के अग्र भाग में 5 x 2.5 सें.मी. का गहरा चीरा घाव, जिससे श्वासनली एवं ग्रासनली पूर्णतः कटी हुई थीं

(ii) गर्दन के पश्च भाग में 8 x 2.6 सें.मी. का चीरा घाव, जिससे कशेरुकास्थि आंशिक रूप से कटी हुई थी

(iii) गर्दन के बाएँ हिस्से में 5 सें.मी. का चीरा घाव।

(iv) नाभि के बाईं ओर 4 x 0.8 सें.मी. का चीरा घाव, जिससे आँतों का कुछ भाग बाहर निकला हुआ था;

(v) जबड़ों पर चोटें पाई गईं तथा ऊपरी दाँत उखड़े हुए थे;

(vi) बाएँ पार्श्वीय छाती सीमा पर 1 x 3 सें.मी. का चीरा घाव;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vii) उपर्युक्त घाव क्रमांक (vi) के समीप 1.5 x 3 सें.मी. का एक अन्य चीरा घाव;

(viii) उदर पर 2 x 1 सें.मी. का चीरा घाव; तथा

(ix) यद्यपि गर्दन के चारों ओर एक रस्सी पाई गई, किंतु गला घोंटने के कोई निशान नहीं पाए गए।

आंतरिक परीक्षण में यह पाया गया कि बड़ी आंत पर कटने से संबंधित चोटें विद्यमान थीं।

विच्छेदन चिकित्सक ने अभिमत दिया कि उपर्युक्त सभी चोटें जीवित अवस्था में धारदार एवं कठोर वस्तु से की गई थीं तथा मृत्यु का कारण गर्दन एवं पेट की चोटों से उत्पन्न शॉक एवं रक्तस्राव था, और यह मृत्यु हत्या की प्रकृति में मानव वध की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 11) में अंकित है।

आगामी जांच में अपीलकर्ता को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका ज्ञापन कथन (प्रदर्श 14) दर्ज किया गया। उसकी निशानदेही पर एक तलवार जब्त की गई, जिसका जब्ती पंचनामा (प्रदर्श 15) के रूप में तैयार किया गया। अन्वेषण के दौरान वस्त्र एवं अन्य सामग्रियाँ भी जब्त की गईं। मृतक के स्वामित्व की एक भाला (भल्लम) और एक जोड़ी प्लास्टिक की चप्पलें भी अपीलकर्ता के घर से बरामद हुईं। समस्त जब्त वस्तुएँ फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर, रासायनिक परीक्षण हेतु भेजी गईं, जहाँ से रिपोर्ट (प्रदर्श 19) प्राप्त हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग सभी वस्तुओं पर, जिसमें तलवार भी सम्मिलित है, रक्त के धब्बे पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस घटना का चक्षुदर्शी कोई साक्षी नहीं था तथा अभियोजन का संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। अभियोजन द्वारा जिन परिस्थितियों पर अवलंब लिया गया है, वे इस प्रकार हैं –

I. अपीलकर्ता ने लक्षेश्वर (अ. सा..-2) एवं छेडिया (अ. सा..-3) के समक्ष न्यायिक संस्वीकृति की थी;

II. अपीलकर्ता एवं मृतक के मध्य भूमि विवाद था, और घटना के दिन दिनांक में उनके बीच झगड़ा हुआ था;

III. मृतक का शव अपीलकर्ता के घर से बरामद हुआ, जिसकी जानकारी स्वयं अपीलकर्ता ने दी; तथा

IV. अपीलकर्ता द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिया गया बरामदगी कथन (प्रदर्श 14) के आधार पर तलवार की बरामदगी की गई और फॉरेंसिक रिपोर्ट में तलवार पर रक्त के धब्बे पाए गए। अपीलकर्ता के वस्त्रों पर भी रक्त के निशान पाए गए।

4. अपीलकर्ता ने निजी प्रतिरक्षा का अभिवाक किया। उसका कथन था कि मृतक भाला लेकर उसके घर में घुस आया एवं उस पर वार करने का प्रयत्न कर रहा था, अतः अपीलकर्ता ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमला किया |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता का निजी प्रतिरक्षा का अभिवाक स्वीकार नहीं किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश ने उपर्युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या कारित की है। अतः वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाया गया। तथापि, अन्य दो सह-अभियुक्त जइती बाई (अपीलकर्ता की पत्नी) एवं लागनी बाई (अपीलकर्ता की माता) को दोषसिद्ध नहीं पाया गया तथापि, यह स्वीकार किया गया कि सह-अभियुक्तगण, जो घर के ही सदस्य थे, अर्थात् जइती बाई (पत्नी) एवं लागनी बाई (माता), जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 201 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया था, वे दोषमुक्त घोषित किए गए।

6. अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा ने मृतक की मृत्यु के मानव वध की प्रकृति स्वरूप पर कोई विवाद नहीं किया। उन्होंने इस तथ्य पर भी विवाद नहीं किया कि मृतक का शव अपीलकर्ता के घर से ही बरामद हुआ था। तथापि, उनका यह तर्क था कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत निजी प्रतिरक्षा का अभिवाक स्वीकार न करके विधि की त्रुटि की है।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से प्रस्तुत पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह प्रतिवेदन किया कि माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के निजी प्रतिरक्षा के दावे को अस्वीकार करना पूर्णतः न्यायोचित था।

8. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की विस्तृत रूप से बहस सुनी है और सत्र न्यायालय के अभिलेख का पूर्ण अवलोकन किया है।

9. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों की शृंखला में यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान निजी प्रतिरक्षा का स्पष्ट रूप से अभिवाक नहीं किया गया हो, तथापि यदि परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के आधार पर उसे यह अधिकार उपलब्ध हो सकता था, तो वह उस पर अपना अभिवाक प्रस्तुत कर सकता है। अभियुक्त को इसके लिए स्वतंत्र रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है; वह अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों से आवश्यक तथ्य प्रतिपादित कर सकता है, और उन स्थितियों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था। परिस्थितियों एवं तथ्यों का निर्धारण अभियोजन साक्ष्यों से भी किया जा सकता है, अथवा अभियुक्त अपने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करके भी इस दायित्व का निर्वहन कर सकता है। ***(देखें – काशीराम एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य, AIR 2001 SC 2902; बिश्ना उर्फ भिष्वदेव महतो एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2005) 12 SCC 657 तथा सलीम जिया बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, AIR 1979 SC 391)/*** इसी अभिप्राय को इस न्यायालय **ने अखिलेश कुमार एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2008 (1) C.G.L.J. 85 (DB)** ***तथा प्रमिला बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, अपराधिक अपील क्रमांक 868/2006*** में भी स्वीकार किया है।

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 96 यह प्रावधान करती है कि जो कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 97 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को, धारा 99 में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, अपने शरीर तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने का अधिकार है, जब उस पर मानव शरीर से संबंधित किसी अपराध की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आशंका उत्पन्न हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत यह दायित्व अभियुक्त पर होता है कि वह उन परिस्थितियों का प्रमाण दे जिससे उसका मामला सामान्य अथवा विशेष अपवाद की श्रेणी में आता हो। धारा 102 एवं धारा 105 दंड संहिता में यह उल्लेखित है कि शरीर तथा संपत्ति की रक्षा हेतु निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कितने समय तक रहता है। यह अधिकार उस समय प्रारंभ होता है जब अपराध करने के प्रयास या धमकी से शरीर को खतरे की युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न होती है, भले ही अपराध अभी कारित न हुआ हो। यह अधिकार उतनी ही अवधि तक रहता है जब तक शरीर को हानि पहुंचने की युक्तिसंगत आशंका बनी रहती है।

11.अब हम उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में श्री कोश्टा द्वारा प्रस्तुत तर्क का परीक्षण करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.सर्वप्रथम हम लक्षेश्वर (अ. सा..-2) के साक्ष्य पर विचार करते हैं। लक्षेश्वर (अ. सा.-2) ग्राम के कोटवार थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रातः लगभग 7 से 8 बजे के बीच अपीलकर्ता अपनी माता एवं पत्नी के साथ उनके घर आया था। अपीलकर्ता ने उन्हें बताया कि उसने अपने घर में मृतक रामनाथ पर गंभीर रूप से प्रहार किया है। अपीलकर्ता ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमि विवाद के कारण उसने अकेले ही मृतक पर हमला किया। प्रति-परीक्षा के पैरा-6 में लक्षेश्वर (अ. सा.-.-2) ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने उसे यह भी बताया था कि मृतक रामनाथ भाला लेकर उसे मारने के उद्देश्य से उसके घर में घुस आया था और उसका भाला (भल्लम) उसके घर में ही पड़ा हुआ है। मृतक का यह भाला पुलिस द्वारा जब्त किया गया।

13.छेडिया (अ. सा.-3) ग्राम के सरपंच थे। उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अपीलकर्ता ने उनके समक्ष न्यायेतर संस्वीकृति की थी। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता ने यह कहा था कि उसने अपने घर (अपीलकर्ता के घर) में मृतक की हत्या की है। उन्होंने आगे कथन किया कि वे अपीलकर्ता के घर गए थे और उन्होंने देखा कि मृतक का शव घर के तीसरे कमरे में पड़ा हुआ था। प्रति परीक्षण के पैरा-8 में उन्होंने यह स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने यह भी कहा था कि मृतक भाला लेकर उसे मारने के लिए उसके घर के अंदर चला आया था।

और वह अपने घर के भीतर भाला चलाने का प्रयास कर रहा था, इस कारण उसने मृतक की हत्या कर दी।

14. चोटकी (अ. सा.-.-7) मृतक की पत्नी है। उसने अपने बयान में कहा कि उसका पति (मृतक) उस दिन भल्लम (भाला) और टॉर्च लेकर खेत गया था।

15. मृतक का भाला (भल्लम) और चप्पल अपीलकर्ता के घर से बरामद की गईं। इन वस्तुओं की पहचान कराई गई, जिसकी कार्यवाही विश्वेश्वर प्रसाद (अ. सा.-.-8) के द्वारा संपन्न हुई। पहचान के दौरान सुद्धू (अ. सा.-.-9) ने उन वस्तुओं की पहचान मृतक की वस्तुओं के रूप में की। पहचान पंचनामा प्रदर्श 19 (एफ.एस.एल. रिपोर्ट भी प्रदर्श 19 के रूप में अंकित) तैयार किया गया। सुद्धू (अ. सा.--9) मृतक का नौकर था, जो प्रतिदिन उसके साथ खेत जाता था। इसलिए उसने मृतक की वस्तुएँ — भाला एवं चप्पल — सही रूप से पहचान लीं। इसके अतिरिक्त, अभियोजन का यह मामला था कि उक्त वस्तुएँ मृतक की थीं और उनका जप्ती अपीलकर्ता के घर से प्राप्त किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपर्युक्त साक्ष्यों के विवेचना के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मृतक अपीलकर्ता के घर में भाला लेकर प्रवेश किया था और जब उसने भाला चलाना आरंभ किया, तब अपीलकर्ता ने उस पर तलवार से हमला किया। मृतक द्वारा भाला चलाए जाने का तथ्य लक्षेश्वर (अ. सा.-.-2) एवं छेडिया (अ. सा.-.-3) के साक्ष्य में आया है, जिन्होंने यह बयान दिया कि न्यायिक संस्वीकृति करते समय के दौरान अपीलकर्ता ने उन्हें बताया था कि मृतक उसके घर के भीतर भाला चला रहा था। यदि उपर्युक्त साक्ष्य को भी विचार से बाहर रखा जाए, तो कम से कम यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतक अपीलकर्ता के घर में हाथ में भाला लेकर घुसा था। यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि अपीलकर्ता के घर में तीन सदस्य रहते थे — स्वयं अपीलकर्ता, उसकी पत्नी जइती बाई (ए-2) तथा उसकी माता लागनी बाई (ए-3) घटना रात्रि के समय घटित हुई थी। यदि मृतक रात्रि में भाला लेकर अपीलकर्ता के घर में घुसा, तो यह स्वाभाविक था कि अपीलकर्ता को यह युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न हुई हो कि मृतक उस पर या उसके परिवार के सदस्यों पर हमला कर सकता है एवं ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता के पक्ष में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार निश्चित रूप से उत्पन्न हुआ।

17. अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या अपीलकर्ता ने अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा का अतिक्रमण किया या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 11) की सामग्री से यह स्पष्ट है कि मृतक को आठ चीरे के घाव लगे थे। यह चोटें अपीलकर्ता द्वारा बार-बार किए गए प्रहारों के फलस्वरूप हुई होंगी। यदि यह मान लिया जाए कि मृतक अपीलकर्ता के घर में भाला लेकर घुसा था तथा वह हत्या कारित करने या गंभीर चोट पहुँचाने की नीयत से भाला चला रहा था, तो अपीलकर्ता द्वारा आत्मरक्षा या अपनी पत्नी एवं माता की रक्षा के लिए एक वार या प्रथम वार ही पर्याप्त होता। हमारे मतानुसार, अभिलेख पर उपलब्ध उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता ने अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण किया, क्योंकि उसने मृतक पर बार-बार प्रहार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अंततः उसकी मृत्यु हो गई।

18.भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की अपवाद संख्या 2 में यह प्रावधान है अपराधिक मानव वध एक हत्या है यदि कोई व्यक्ति शरीर अथवा संपत्ति की रक्षा के निजी अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग करते हुए विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति से आगे बढ़कर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, जिसके विरुद्ध वह ऐसा अधिकार प्रयोग कर रहा हो, बशर्ते कि वह कार्य पूर्वविचारित न हो तथा आवश्यक आत्मरक्षा से अधिक हानि पहुँचाने का उसका कोई इरादा न हो, तो ऐसे प्रकरण में अपराध हत्या नहीं माना जाएगा, बल्कि यह अपराध की श्रेणी में आएगा। हमारे मत में, अपीलकर्ता का प्रकरण धारा 300 के अपवाद 2 की परिधि में आता है, ऐसे स्थिति में वह धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है बल्कि उसे धारा 304, भाग-1 के अंतर्गत दंडित किया जाना उचित होगा।

19.पूर्वगामी कारणों के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध कर सुनाई गई सजा अपास्त की जाती है। इसके स्थान पर, अपीलकर्ता को धारा 304, भाग-1 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध कर सक्षम कारावास की 7 वर्ष की सजा दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
मुख्य न्यायाधीश

सही/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by PANKAJ SINGH THAKUR

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur